

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 20 / 2026

1. रघुवीर सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर हाल बग्गुवाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

—अपीलान्ट

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—असल रेस्पोंडेंटस

3. गुरदेवसिंह पुत्र मालासिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. मखनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. नायबसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. सतवीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. मलकितसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. सरजीतकौर पत्नी चानणसिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. सुन्दरसिंह पुत्र पालाराम जाति जाट साकिन सोती पड़िहारी तहसील जिला हनुमानगढ़ (राज.)।



10. पवनकुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन ढढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
11. प्रतापसिंह पुत्र नारायणराम जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
12. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
13. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
14. रामेश्वरी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
15. ममता पुत्री औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
16. विनोकुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
17. प्रहलाद राम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
18. मंजूबाला पत्नी संदीपकुमार जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
19. जिन्द्रपाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
20. सुरेन्द्रकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
21. शान्ति देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
22. भागीरथ पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

23. बालुराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
24. महेन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
25. अमरसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
26. दर्शनसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
27. वीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
28. मोहनजीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
29. जसविन्द्र कौर पुत्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

—रेस्पोंडेन्टस

उपस्थित:— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांत

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या—1




निर्णय

दिनांक:— 05.05.2026

अपीलांत रघुवीरसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर हाल बग्गुवाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) ने विरुद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 26.09.2016 जिसमें इन्तकाल नं0 615 रोही चक 16 जे. एस. एन. विधि विरुद्ध दर्ज व तस्दीक किया गया को, निरस्त करवाने अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं—

1. नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह दिनांक 30.04.2021 को फौत हो गया, जिसका एक मात्र जायज वारिस अपीलान्त ही है।
2. रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78/80 के प.न. 334/407 (55) के कि.न. 11 ता 14 की 1.012,


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

- 15/.228, 16/.228, 17 ता 24 की 2.024, 25/.227, प.न. 335/408 (56) के कि. न. 11 ता 13 की .759, 18 ता 23 की 1.518, प.न. 335/408 (63) के कि.न. 1 ता 3 की 0.759, 8 ता 11 की 1.012, 12 ता 13 की .506, 18 ता 23 की 1. 518, प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/.228, 6/.228, 7 ता 10 की 1. 012, 11 ता 14 की 1.012, 15/.228, 16/.228, 17 ता 20 की 1.012, 21 ता 24 की 1.012, 25/.227, मु.न. 88 के कि.न. 47/4 की 0.2020 गै.मु. खाला कुल 16. 1920 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोंडेन्टस की मुस्तरका खाते की खातेदारी भूमि थी, जिसके मुस्तरका खातेदार काश्तकार थे। सभी ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त दिनांक 16.09.2016 को खाता विभाजन करवाया था।
3. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह एवं रेस्पोंडेन्ट नं. 1 को चक न. 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78/80 के प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/.228 नहरी 0.025 गै. मु. खाला प.न. 335/408 (63) के कि. न. 1 की 0.253 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई थी, जिसके मुस्तरका खातेदार काश्तकार थे।
4. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा दिनांक 26.09.2016 को इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. तस्दीक किया गया, उसमें अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया एवं विवादित भूमि अकेले रेस्पोंडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जिससे अपीलान्ट के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए अपीलान्ट इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. को निरस्त करवा कर प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/.228 नहरी 0.025 गै.मु. खाला प.न. 335/408 (63) के कि.न. 1 की 0.253 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि ब.हि.ब. अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, इसलिए विधि विरुद्ध इन्तकाल निरस्त योग्य है।
5. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा दिनांक 26.09.2016 को इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। कानूनन् किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ना ही मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। सिर्फ जल्दबाजी में विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. रेस्पोंडेंट नं. 1 ता 2 ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के नाम होने के बावजूद भी इन्तकाल नं. 615 में नाम दर्ज नहीं किया है, जिससे अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के साथ अन्याय व विश्वासघात हुआ है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
7. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत रूप से कोई अवसर नहीं दिया ना ही कब्जा सम्बन्धी जांच की। यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
8. मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व कब्जा सम्बन्धी जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
9. मातहत अदालत का निर्णय स्वेच्छाचारी, मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए निरस्त योग्य है।
10. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
11. विवादित भूमि पहले अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के कब्जा काशत में चली आ रही थी एवं अब अपीलान्ट के कब्जा काशत में चली आ रही हैं एवं अपने हक व हिस्सा की एवं कब्जा काशत की भूमि को लगातार काशत करता आ रहा है। अब नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के फौत होने पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत रिकार्ड को देखा तो जानकारी हुई की रेस्पोंडेंट नं. 1 ने इन्तकाल नं. 615 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है। तब विधि विरुद्ध निर्णय की नकल लेने बाबत कार्यवाही की जो बाद तैयारी प्राप्त होने पर विधि विरुद्ध निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।
12. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर दिनांक 26.09.2016 अपीलान्ट की हद तक निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या-01(फौत) के वारिसान की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुए। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 26.09.2016 चक 16 जे.एस.एन. की 16.1920 है 0 भूमि अपीलान्ट रेस्पोंडेन्ट की मुस्तरका खाता की भूमि। वर्ष 2016 में खाता विभाजन सहमती से करवाया गया। खाता विभाजन में नक्षत्रसिंह व मलकीत सिंह को 6 बीघा भूमि ब.हि.ब. मिली। खाता विभाजन सही है, नक्शा सही है लेकिन खाता विभाजन 16.09.2016 के आधार पर नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 20.09.2016 गलत है। उसमें अपीलान्ट के पिता का नाम रह गया। पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 में ग्याद के बिन्दु पर खारिज की गई। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा 06.02.2026 को निर्णय पारित कर पत्रावली न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गई है। नक्षत्र सिंह को खाता विभाजन में 03 बीघा भूमि मिली हुई है जबकि आज भी 6 बीघा भूमि मलकीत सिंह के नाम दर्ज है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर में रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 के फौत होने पर उनके वारिसान को क्रमशः 1/1 सुखदेव कौर पत्नि स्व0 मलकीत सिंह, 1/2 गुरदीपसिंह पुत्र मलकीत सिंह, 1/3 जगदीप सिंह पुत्र स्व0 मलकीत सिंह, पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 20.09.2016 को अपास्त किया जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि नक्षत्रसिंह द्वारा मलकीत सिंह के नाम अपना हक व हिस्सा का त्याग कर दिया था। चक 16 जे.एस.एन. में नक्षत्रसिंह का हिस्सा नहीं है, जो हिस्सा था, उसे विक्रय कर दिया गया। प्रार्थना-पत्र दफा 5 का जवाब नहीं दिया गया। खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 को किया गया था, जिसकी अपील दिनांक 26.04.2022 को लगभग 5 वर्ष बाद पेश की गई। खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 पर नक्षत्रसिंह के हस्ताक्षर है। धारा 96(3) सीपीसी के अनुसार पक्षकारान की सहमती के आधार पर पारित डिक्री की अपील नहीं हो सकती है। मूल खाता विभाजन आदेश यदि बहाल है तो नामान्तरण की अपील नहीं की जा सकती है। रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 फौत हो चुके है एवं 90 दिन से अधिक समय बीत जायें



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर अपील abate हो चुकी है। पिता द्वारा सहमती दी गई तो उस बेटा आपति नहीं उठा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सलंगन समस्त दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। समस्त काशतकारान की सहमती के आधार पर निर्णय दिनांक 16.09.2016 पारित किया गया। पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.09.2023 को निर्णय पारित कर म्याद के बिन्दु के आधार अपील अपीलांट खारिज की गई। जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा उभयपक्ष को सुनकर, प्रकरण में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 को पारित किया गया जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 20.09.2016 रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 16.09.2016 को चुनौति दी गई लेकिन अपील पेश करने में देरी कारण बाबत कोई ठोस कारण नहीं बताया है। ऐसे म्याद का बिन्दु देखना अत्यंत आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 5/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया



(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)